न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 99 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. जीयाराम पुत्र मुकनाराम उम्र 58 वर्ष **बनाम**
2. गोधुराम पुत्र मुकनाराम उम्र 53 वर्ष
3. भोमाराम पुत्र मुकनाराम उम्र 38 वर्ष जाति मेघवाल निवासी रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

1.नारणाराम पुत्र धीराराम उम्र 58 वर्ष
2.गणेशाराम पुत्र धीराराम उम्र 53 वर्ष
3.नेनूदेवी पत्नी धीराराम उम्र 73 वर्ष
4.उदाराम पुत्र मगाराम उम्र 56 वर्ष
5.रूपाराम पुत्र मगाराम उम्र 56 वर्ष
6.वगताराम पुत्र मगाराम उम्र 43 वर्ष
7.सुगनी पत्नी भीयाराम उम्र 38 वर्ष जातियान भाम्भी(मेघवाल) निवासी रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रारूपिक उत्तरदातागण(प्रतिवादी)

8.हमीराराम पुत्र हिम्मताराम उम्र 68 वर्ष
9.विरदाराम पुत्र हिम्मताराम उम्र 73 वर्ष
10.तगाराम पुत्र खेताराम उम्र 68 वर्ष
11.करनाराम पुत्र खेताराम उम्र 78 वर्ष
12.आसाराम पुत्र ताजाराम उम्र 78 वर्ष
13.चूनाराम पुत्र फुवाराम उम्र 58 वर्ष
14.अजाराम पुत्र फुवाराम उम्र 58 वर्ष
15.वगताराम पुत्र फुवाराम उम्र 58 वर्ष
16.खेमाराम पुत्र फुवाराम उम्र 58 वर्ष
17.हरजीराम पुत्र फुवाराम उम्र 58 वर्ष
18.हीराराम पुत्र फुवाराम उम्र 58 वर्ष
19.दमाराम पुत्र फुवाराम उम्र 58 वर्ष
20.बालूदेवी पत्नी हडुमानराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उम्र 48 वर्ष जातियान मेघवाल
निवासी रावतसर तहसील व
जिला बाड़मेर।
21.राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 92/2014 बअनवान नारणा वगैरा बनाम हमीरा वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनील के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 08.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 द्वारा एक राजस्व वाद इस आश्य का पेश किया कि मौजा रावतसर तहसील बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 212, 213, 214, 216, 223, 229, 236 व 239 जिनका रकबा क्रमशः 0.08 बीघा, 0.06 बीघा, 207.02 बीघा, 117.04 बीघा, 187.05 बीघा, 70.09 बीघा, 24.08 बीघा, 15.04 बीघा कुल रकबा 622.04 बीघा भूमि में उतरदाता/वादीगण व प्रतिवादीगण 1 से 16 सह खातेदार है जिसमें वादी संख्या 1 से 3 का 1/8 हिस्सा व वादी संख्या 4 से 7 का 1/8 हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बाड़मेर द्वारा तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं उपस्थिति हेतु नोटिस दिया जाना आवश्यक था। जो नहीं दिया गया। तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं जाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से विभाजन तैयार करवाया है जो विधि एवं नियमों के प्रतिकूल है। खसरा संख्या 229 में मात्र दो किनारों पर छोटी–छोटी जमीन अपीलांट को दी गई है। उक्त खसरे की मध्य की पूरी उपजाऊ भूमि का बंटवाड़ा वादी ने अपने हिस्से में करवा ली है। मौके पर अपीलांट के कब्जे काश्त के विपरीत बंटवाड़ा तैयार किया गया है। खसरा संख्या 223 व 216 का विभाजन भी गलत किया है उक्त खसरे में अपीलांट को एक विकृत भूमि दी गयी है उक्त खसरे में अपीलांट को एक विकृत भूमि दी गयी है। खसरा संख्या 216 में सही रूप से 1/2 हिस्सा नहीं कर अपीलांट को पूरा 1/2 हिस्सा नहीं देकर अपीलांट का हिस्सा कम किया गया हैं तथा खसरा संख्या 326 में भी अपीलांट के हिस्से को दो टुकड़ों में बांट स्वयं ने खेत के मध्य की उपजाऊ जमीन अपने नाम करवा ली है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि तथ्यों वं पत्रावली पर आये दस्तावेजों की भारी अनदेखी की है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया, रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि तहसीलदार बाड़मेर से भूमि का विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। विभाजन प्रस्ताव अपीलांटगण की बिना जानकारी में लाये तैयार किये गये तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी की गई। विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय तैयार किया गया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचना नही दी गई तथा मौके एवं कब्जे के प्रतिकूल विभाजन प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। विभजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है। खसरा संख्या 229 में मात्र दो किनारों पर छोटी–छोटी जमीन अपीलांट को दी गई है। उक्त खसरे की मध्य की पूरी उपजाऊ भूमि का बंटवाड़ा वादी ने अपने हिस्से में करवा ली है। मौके पर अपीलांट के कब्जे काश्त के विपरीत बंटवाड़ा तैयार किया गया है। खसरा संख्या 223 व 216 का विभाजन भी गलत किया है उक्त खसरे में अपीलांट को एक विकृत भूमि दी गयी है उक्त खसरे में अपीलांट को एक विकृत भूमि दी गयी है। खसरा संख्या 216 में सही रूप से 1/2 हिस्सा नहीं कर अपीलांट को पूरा 1/2 हिस्सा नहीं देकर अपीलांट का हिस्सा कम किया गया हैं तथा खसरा संख्या 326 में भी अपीलांट के हिस्से को दो टुकड़ों में बांट स्वयं ने खेत के मध्य की उपजाऊ जमीन अपने नाम करवा ली है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण को बिना सुने व उसकी ओर से उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर एतराज प्रस्तुत करने से महरूम रह गया। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि की दृष्टि एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरित है। अपीलाधीन आदेश आंख बंद कर न्यायिक प्रक्रिया एवं सीपीसी के प्रावधानों को अपनाये बिना विधि के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय की अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। अरसा सवा माह पूर्व जब उतरदाता संख्या 1 से 7 ने अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर जबरन खेती करने का प्रयासरत हुए तब अपीलांट ने उन्हें अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में हस्तक्षेप करने से मना किया तो उतरदातागण ने अपीलांट को आलोच्य बंटवाड़ा होने की जानकारी दी, जिस अपीलांट ने दिनांक 22.06.2017

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर नकले मांगी जो दिनांक 17.07.2017 को प्रापत हुई तब सर्वप्रथम आलोच्य निर्णय व डिक्री सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलाधीन निर्णय में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की मौका रिपोर्ट मुताबिक तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया बल्कि वह आई.एल.आर. व पटवारी द्वारा तैयार कर भिजवाया गया है जिस पर तहसीलदार बाड़मेर ने प्रति हस्ताक्षर किये हैं। इस रिपोर्ट पर अपीलांटगण के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह विभाजन प्रस्ताव एकतरफा है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है एवं न ही जोत विभाजन By metes & Bounds सिद्धांत पर तैयार किया है। इन कारणों मामला रिमाण्ड करने लायक हैं।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 92/2014 बअनवान नारणा वगैरा बनाम हमीरा वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2016 को अपास्त कर मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह विधिवत रूप विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर पुनः निर्णय पारित करे।

8/7/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner